न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः—170/2019 (GCMS No. 2019/00175) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. असगरी वेवा मुनीरशाह
2. शफी शाह पुत्र मुनीरशाह
3. सत्तार शाह पुत्र मुनीरशाह
4. गफ्फार शाह पुत्र मुनीरशाह
5. मन्नाशाह पुत्र मुनीरशाह
6. हमीदशाह पुत्र मुनीरशाह
7. नसरूददीनशाह पुत्र मुनीरशाह
8. जाकिरशाह पुत्र मुनीरशाह
9. समीप पुत्री मुनीरशाह

} जाति मुसलमान निवासी शेरपुर खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. जमनालाल पुत्र गिर्राज
2. ओमप्रकाश पुत्र गिर्राज

} जाति माली निवासी खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

3. सरपंच ग्राम पंचायत खिलचीरपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2016 उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर अपील संख्या 01/2015 उनवानी जमनालाल बनाम असगरी बावत् नामान्तकरण संख्या 921 दिनांक 10.05.2012 ग्राम पंचायत खिलचीपुर।

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नि र्ण य

दिनांक : 26.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आज्ञा देने से पूर्व अपीलान्टान को किसी प्रकार की सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अपीलान्ट को तहत न्यायालय में पेश होने के लिए दिनांक 06.06.2016 तारीख दी गई। अपीलान्ट नियत दिनांक को तहत न्यायालय में गया तो पत्रावली उसी दिन कैम्प कोर्ट में एकतरफा निर्णय बिना नोटिस दिये बिना सुने पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना रेस्पोडैन्ट संख्या 1 लगा. 3 अनुपस्थित। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थिति। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्टान को किसी प्रकार की सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अपीलान्ट को तहत न्यायालय में पेश होने के लिए 06.06.2016 तारीख दी गई। अपीलान्ट जब नियत तारीख को न्यायालय में पहुॅचा तो बताया कि पत्रावली को उसी दिन कैम्प में ले जाया गया। अपीलान्ट जब कैम्प में पहुॅचा तो पता चला कि एकतरफा में बिना अपीलान्टान को कैम्प कोर्ट के नोटिस दिये व बिना सुने निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडैन्ट के दााखिल खारिज संख्या 921 दिनांक 10.05.2012 से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है। दााखिल खारिज संख्या 921 विरासत का है। अपीलान्टान के पिता मुनीरशाह की मृत्यु के बाद उनके नाम दर्ज हुआ है। रेस्पोडैन्ट को इस दाखिल खारिज के विरूद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही उनके द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विरासत के नामांतरकरण की अपील का अधिकार नहीं है। वर्ष 2002 के वयनामा के आधार पर अपील या दावा पेश करना चाहिए था। रेस्पोडैन्टान ने अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की थी और उसके साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दफा 5 प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये अपीलाधीन आज्ञा पारित की है। अपीलान्टान के पिता स्व. मुनीरशाह ने कोई वयनामा दिनांक 27.06.2012 को रेस्पोडैन्टान के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है। अपीलान्टान की जानकारी में यह वयनामा आया तब उन्होंने एक एफ.आई.आर. संबंधित थाने में दर्ज कराई जिसमें

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

तफतीश चल रही है। मौका रिपोर्ट भी एक तरफा में बिना रेस्पोडैन्टान की जानकारी के तैयार की गई है। पटवारी रिपोर्ट आज्ञा पारित करने की दिनांक को ही मंगवाई गई है। तहत न्यायालय ने मनमानी तरीके से बिना रिकार्ड का अवलोकन किये आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आज्ञा दिनांक 06.06.2016 को निरस्त कर दााखिज खारिज संख्या 921 दिनांक 10.05.2012 वहाल रखा जावे अथवा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायलय का फैसला वहाल रखा जावे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को विधिवित रूप से निस्तारित नहीं किया गया। कैम्प कोर्ट में पत्रावली लगाने की कोई सूचना नहीं दी गई। लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य राजीनामे से प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। जहां प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना है वहां दोनो पक्षों को सुनकर ही निर्णय किया जाना चाहिए था। सुनवाई का कोई उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। केवल अप्रार्थीगण उपस्थित का ही उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लोक अदालत कैम्प की तिथि को भी भेजे गये नोटिस की प्रति नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि लोक अदालत के लिए नोटिस भेजे ही नहीं गये। आदेशिका दिनांक 03.05.2016 को नियत पेशी थी, जिसे दिनांक 06.06.216 कर दिया गया, किन्तु आदेशिका दिनांक 03.05.2016 मोहरपुरन आदेशिका है जिस पर भी लोक अदालत की आगामी पेशी दिनांक 06.06.2016 का कोई उल्लेख नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः न्यायालय के मत में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पुनः दो माह में अपीलान्ट को सुनवाई का विधिवत रूप से मौका

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

दिया जाकर प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। तब तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.58 हैक्टे. ख.नं. 1731 रकबा 0.37 हैक्टे. व ख.नं. 1731/4844 रकबा 0.01 हैक्टे. पर उभयपक्ष मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/06/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर